

प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 06.08.2025

01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ताल के नेतृत्व में उ0नि0 आनन्द कुमार उपाध्याय मय पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त दीपक चौहान उर्फ फक्कड़ उर्फ बोहर को 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 499/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता व आपराधिक इतिहास-

दीपक चौहान उर्फ फक्कड़ उर्फ बोहर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद चौहान निवासी बिन्दुली थाना सिकरारा जनपद जौनपुर

1. मु0अ0सं0 499/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 004/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना कोतवाली जनपद जौनपुर
3. मु0अ0सं0 003/2021 धारा 379/411/413/414 भादवि थाना कोतवाली जनपद जौनपुर
- 4.

बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 आनन्द कुमार उपाध्याय थाना रामगढ़ताल गोरखपुर
2. हे0का0 किशन कुमार थाना रामगढ़ताल गोरखपुर
3. का0 दिनेश यादव थाना रामगढ़ताल गोरखपुर